मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शनिवार, दिनांक 11 जनवरी, 2014 (पौष 21, 1935)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ /प्रतिज्ञान

जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013,

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्त लेखे वर्ष 2012-2013 के खण्ड-I एवं II,

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013,

(iii) भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन संख्या -4,

(iv) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये का प्रतिवेदन क्रमांक-3

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक –महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(vi) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन क्रमांक-1, तथा

(vii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त का प्रतिवेदन संख्या-1.

(ग) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार –

(i) वित्तीय वर्ष 2012-2013 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण, तथा

(ii) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम 2006 के अन्तर्गत अनुपालन पुनर्विलोकन रिपोर्ट अक्टूबर, 2013 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वित्तीय वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 37 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का छत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2012-2013 (दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये) पटल पर रखेंगी.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री –

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 2545-वि.नि.आ.-2013, दिनांक 30 सितम्बर, 2013,

(ii) क्रमांक 2707-म.प्र.वि.नि.आ.-2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 का शुद्धिपत्र,

(iii) क्रमांक 3124-म.प्र.वि.नि.आ.-2013, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013, तथा

(iv) क्रमांक 2164-म.प्र.वि.नि.आ.-2013, दिनांक 7 अगस्त, 2013,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षित लेखों के प्रतिवेदन,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2012-2013,

(घ) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -
(i) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013; तथा
(ii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि, एवं

(ङ) मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-20-2012-सात-शा.2ए, दिनांक 29 अगस्त, 2013 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री –
(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अठ्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012,
(ii) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-01, दिनांक 10 अप्रैल, 2013 पटल पर रखेंगे.

(8) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पटल पर रखेंगे.

3. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है."

निर्धारित समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण
15 मि. (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री दीपक जोशी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)
15 मि. संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. वर्ष 2013-2014 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से
2 घन्टे प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छ:हजार छ:सौ तेईस करोड़, इकसठ लाख, तिरसठ हजार, छ:सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

निर्धारित समय

7. 1999-2000 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

30 मि. "दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 14, 23, 27, 44, 50, 59, 60, 69, 75, 89, 6, 21, 23, 24, एवं 30 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक हजार पांच सौ चौरासी करोड़, तिरानवे लाख, अठहत्तर हजार, आठ सौ नवासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) का **पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. 2000-2001 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 70, 88, 21, 23 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो हजार छ:सौ पचास करोड़, तिहत्तर लाख, सात हजार, तीन सौ बासठ रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

30 मि.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 3) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) का ***पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11. 2002-2003 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 24, 67, 53, 21, 23, 44 एवं 67 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को चार हजार दो सौ सैतालीस करोड़, बानवे लाख, छ: हजार आठ सौ अड़तीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) का ****पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 10 जनवरी, 2014

** अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.
*** अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.
**** अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.